

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21565/2018

श्रीमती सोमोती पत्नी श्री केशव देव शर्मा, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी नया गांव खालसा, तहसील भुसावर,
जिला भरतपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय,
जयपुर के माध्यम से।
2. संयुक्त सचिव, सरकार, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक, खान, कोटा जोन, कोटा।
4. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं)के लिए	:	श्री अश्विनी कुमार चौबिसा
उत्तरदाता(ओं) के लिए	:	सुश्री अनिमा चतुर्वेदी एवं श्री हर्षवर्द्धन कटारा जी के लिए श्री भरत व्यास, एएजी

**माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश**

08/10/2024

1. यह याचिका क्रमशः जुर्माना लगाने और अपीलों को खारिज करने के दिनांक 08.02.2013, 21.08.2015 और 01.01.2018 के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को ग्राम ऐपुर, तहसील वैर, जिला भरतूर के पास चिनाई पत्थर के खनन के लिए खनन पट्टा प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने अन्य पट्टा धारकों के साथ मिलकर ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाया था। 21.12.2012 को याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि 18.12.2012 को निरीक्षण दल ने पाया कि आवंटित क्षेत्र से आगे खनन कार्य किया जा रहा था और 13020 टन खनिज चिनाई पत्थर का उत्खनन किया गया था। याचिकाकर्ता ने 04.01.2013 को जवाब दाखिल करके नोटिस का जवाब दिया। 08.02.2013 के आदेश द्वारा 31,50,840/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। याचिकाकर्ता दोनों अपीलों में विफल रहा, इसलिए वर्तमान याचिका।
3. उठाया गया संक्षिप्त मुद्दा यह है कि दंड आदेश एक गैर-वाचिक आदेश है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर पर विचार नहीं किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ खनिज मेसनरी स्टोन का अवैध उत्खनन कर रहे स्थानीय ग्रामीणों को पकड़ा गया और प्राथमिकी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता द्वारा कोई अवैध खनन गतिविधि नहीं की गई। तर्क दिया गया कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान विरोध स्वरूप जुमने की राशि जमा कर दी गई है।
5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेशों का बचाव करते हुए कहा कि निरीक्षण दल ने पाया था कि खनन याचिकाकर्ता को आवंटित क्षेत्र से बाहर किया जा रहा था।
6. दंड आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर खनन अभियंता को प्राप्त हो गया था। उत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार नहीं किया गया तथा केवल यह कहा गया कि प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।
7. यह एक सामान्य नियम है कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को एक तर्कसंगत आदेश पारित करना ही होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एम/एस क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्री मसूद अहमद खान एवं अन्य, 2010(9) एससीसी 496** में निम्नलिखित निर्णय दिया:

“क. भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा से ही कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

ख. एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए।

ग. कारणों को दर्ज करने पर जोर न्याय के व्यापक सिद्धांत की पूर्ति के लिए है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है।

घ. कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहाँ तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध रोक के रूप में भी कार्य करता है।

ङ. कारण यह आश्चस्त करते हैं कि निर्णयकर्ता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाह्य विचारों की उपेक्षा करके विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है।

च. कारण वस्तुतः न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहाँ तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति के समान ही निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं।

छ. कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

ज. विधि के शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में प्रचलित न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने की जीवनरेखा है जो इस सिद्धांत को प्रमाणित करती है कि तर्क ही न्याय की आत्मा है।

झ. आजकल न्यायिक या यहाँ तक कि अर्ध-न्यायिक राय भी उतनी ही भिन्न हो सकती हैं जितने कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और प्राधिकारी। ये सभी निर्णय एक समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, और वह उद्देश्य है तर्क द्वारा यह प्रदर्शित करना कि प्रासंगिक कारकों पर

निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली में वादियों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

ज. न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए तर्क पर जोर देना आवश्यक है।

ट. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूर्वोदाहरण के सिद्धांत के प्रति निष्ठावान है या वृद्धिवाद के सिद्धांतों के प्रति।

ठ. निर्णयों के समर्थन में तर्क ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। तर्कों का दिखावा या "रबर-स्टाम्प तर्क" को वैध निर्णय प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ड. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए अनिवार्य शर्त है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णयकर्ताओं को त्रुटियों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जाँच के अधीन भी बनाती है।

ढ. चूंकि तर्कों को दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता था।

ण. सभी सामान्य विधि क्षेत्राधिकारों में, निर्णय भविष्य के लिए मिसाल कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण बताने की आवश्यकता अनिवार्य है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

8. दंड आदेश एक अव्यक्त आदेश है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है और मामले को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को वापस भेज दिया जाता है।

9. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

रिया/59

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

[2024:आरजे-जेपी:42383]

[सीडब्ल्यू-21565/2018]

Advocate